1. अवकाश नियम

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो भाग–दो से चार के अध्याय –10 के मूल नियम–58 से 104 सपठित सहायक नियम–35 से 172 तक तथा समय–समय पर जारी शासनादेश

2–प्रमुख बिन्दु

- अवकाश की मांग, दावा अधिकार नहीं (मू0नि0–67)
- Prefix/suffix की अनुमति स्वीकर्ता प्राधिकारी दे सकता है। (मू0नि0–68)
- अवकाश में लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं (मू0नि0–69)
- स्वीकृत अवकाश को निरस्त करने का अधिकार (मू0नि0–70)
- चिकित्सीय अवकाश के उपरान्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य– (मू0नि0–71)
- स्वीकृत अवकाश के उपरान्त अनुपस्थिति दुर्व्यवहार (मू0नि0–15 व मू0नि0–73)

प्रमुख बिन्दु

- एक प्रकृति का अवकाश दूसरे अवकाश के साथ/क्रम में स्वीकृत (मू0नि0–81ख(6)83(4) व स0नि0–157(क)(5), 154
- अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व का वेतन अनुमन्य
- प्रतिकर भत्ते मू0नि0–93 व स0नि0–147, 149, 150 व 152 के अनुसार देय।
- विशेष कार्य हेतु देय विशेष वेतन/प्रतिकर भत्ते देय नहीं

(सा–4–871/दस–1999, दिनांक 25 मार्च 2000)

प्रमुख बिन्दु

- प्रकृति परिवर्तन का अधिकार स्वीकृर्ता को नहीं।
- निलम्बन अवधि में अवकाश देय नहीं (मू0नि0–55)
- अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर जरूरी।
- अवकाश जनहित में अस्वीकृत किया जा सकता है।
- अवकाश काल समस्त उद्देश्य हेतु सेवाकाल जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत अवकाश के अतिरिक्त लगातार अवकाश पर रहने की अधिकतम सीमा 28 माह है। (मू0नि081(ए)) यह नियम असाधारण अवकाश पर लागू नहीं।

3– अवकाश के प्रकार

- आकस्मिक अवकाश अर्जित अवकाश
- निजी कार्य पर अवकाश चिकित्सा अवकाश
- मातृत्व अवकाश असाधारण अवकाश
- हॉस्पिटल अवकाश अध्ययन अवकाश
- विशेष विकलांगता अवकाश लघुकृत अवकाश
- दीर्घावकाश संगरोधक अवकाश

4— आकस्मिक अवकाश

- एम0जी0ओ0 उ0प्र0 के अध्याय—142 प्रस्तर—1081
- प्रतिस्थानी की तैनाती नहीं।
- कैलेण्डर वर्ष में 14 दिन देय।
- 10 दिन से अधिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में।
- रविवार, अन्य छुट्टियां इस अवकाश के बीच में जुड़ते नहीं।
- अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में 14 दिन एक साथ।
- अवकाश अवधि का पता आवश्यक।
- र0नि0—201 के अनुसार डयूटी

5– प्रतिकर अवकाश

- एम0जी0ओ0 के प्रस्तर–1089
- छुट्टियों में अतिरिक्त कार्य हेतु बुलाये जाने पर।
- एक माह के अन्दर उपभोग अनिवार्य (शिथिल योग्य)।
- दो दिन से अधिक एक साथ देय नहीं।
- केवल अराजपत्रित कार्मिकों को देय।
- आधे दिन कार्य पर आधे दिन का अवकाश देय।
- केवल अराजपत्रित कार्मिकों को स्वेच्छा से आने पर देय।

6– अर्जित अवकाश

- स्थायी कार्मिक को मू0नि0–81(बी)(1) के अनुसार।
- अस्थायी कार्मिक को स0नि0–157(ए)(1) के अनुसार।
- कैलेण्डर वर्ष में 31 (16, 15) दिवस अग्रिम जमा।
- सा–4–1335/दस–88–203–86 दि0 17/9/88 द्वारा 180 से 240 दिवस (01 जनवरी 1987 से प्रभावी)
- सा–4–392/दस–94–203–86 दि0 01/07/99 द्वारा 240 से 300 दिन (दिनांक 01 जुलाई 1999 से प्रभावी)
- ढाई दिवस प्रति माह, माह के बीच में योगदान शून्य।
-

अर्जित अवकाश

- असाधारण अवकाश का 1/10 कम (15 दिन अधिकतम)।
- आदेश में इतिशेष अवकाश का अंकन अनिवार्य।
- एक बार में अधिकतम 120 दिन। (भारत के अन्दर)
- अवकाश लेखा प्रपत्र–11 घ।
- से0नि0 पर 300 दिवस का अर्जित अवकाश नकदीकरण विभागाध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत एवं भुगतान।
- अवकाश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक।
- अवकाश वेतन–प्रस्थान से ठीक पूर्व का वेतन एफआर 87क(1) ए स0आर0 157 क(6)

7–निजी कार्य पर अवकाश

- अर्द्ध वेतन पर देय
- स्थायी को मू0
- नि0–81(ख)(3), 90 दिन की अधिकतम सीमा में तथा 365 दिन तक जमा। भारत में 90 दिन, बाहर 180 दिन।
- अस्थायी को स0नि0–157(क)(3), दो वर्ष की सेवा पर अधिकतम 60 दिन परन्तु कुल 120 दिन तक उपभोग।
- प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 31 दिन (16 एवं 15) जमा।
- अवकाश लेखा प्रपत्र–11 ड में।
- अवकाश वेतन– ईएल／2

8–चिकित्सा प्रमाण पर अवकाश

- स्थायी कार्मिक मू0नि0–81(ख)(2), बारह माह पूर्ण वेतन, छः माह अर्द्ध वेतन चिकित्सा परिषद की संस्तुति पर।
- अस्थायी कार्मिक, स0नि0–157(क)(2), चार माह तीन वर्ष की सेवा पर 03 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त 12 माह। सा–4–1918/1980
- चतुर्थ श्रेणी–स0नि0–98चिकित्सा प्रमाण पत्र निजी/राजकीय डाक्टर।
- तृतीय श्रेणी–स0नि0–95 प्रारूप पर, 30 दिन तक निजी/राजकीय डाक्टर उससे अधिक द्वितीय मत सी0एम0ओ0।

चिकित्सा प्रमाण पर अवकाश

- राजपत्रित–90 दिवस तक सी0एम0ओ0 तत्पश्चात चिकित्सा परिषद।
- अधिकृत चिकित्सकों का अवकाश प्रमाण पत्र आवश्यक।
- कार्यभार ग्रहण करने पर अस्वस्थता प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- वेतन, अवकाश में जाने के ठीक पूर्व का देय।
- स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राधिकृत चिकित्सकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर स्वीकार।

9. प्रसूति अवकाश

- मू0नि0–101 के अन्तर्गत निर्मित स0नि0–153 व 154 द्वारा स्थायी/अस्थायी महिला को अधिकतम 180 दिनों का देय।
- पूरे सेवाकाल में अधिकतम 3 बार परन्तु तीसरी बार तभी जब जीवित बच्चों में एक असाध्य रोग/विकलांगता ग्रसित हो।
- एक बार स्वीकृत होने के दो वर्ष पश्चात देय।
- अवकाश लेखा पृथक से नहीं परन्तु सेवापुस्तिका में अंकन।
- अन्य प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य।

प्रसूति अवकाश

- गर्भपात के मामलो में प्रत्येक अवसर पर छः सप्ताह।
- वर्तमान में तीन बार से अधिक स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था, सा–4–84/दस–90–216–79, दि0 03 मई 1990 द्वारा।
- प्राधिकृत चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अनिवार्य।
- किसी प्रकार के अवकाश लेखे से घटाया नहीं जाता है।
- अन्य प्रकार की छुट्टियों के साथ मिलाया जा सकता है।
- गर्भपात के मामलो में जिसके अन्तर्गत अत्यधिक गर्भस्राव भी है, प्रसूति अवकाश देय है।

10–असाधारण अवकाश

- मू0नि0–85(क) के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में देय–
- जब अन्यथा कोई अवकाश देय न हो एवं लिखित प्रार्थना।
- स्थायी कार्मिकों को अधिकतम 5 वर्ष की देय उसक पश्चात एक मौका देते हुए सेवा समाप्ति।
- पृथक से कोई लेखा नहीं। सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकन।
- अन्य प्रकार के अवकाश के साथ स्वीकृत।
- अस्थायी कार्मिक को स0नि0–157 के अधीन स्वीकृत।
- 0–3 वर्ष – 03 माह
- 3 वर्ष से उपर–6 माह
- संपूर्ण सेवा– 24 माह
- 1 वर्ष की सेवा TB/Leprosy– 18 माह

11–चिकित्सालय अवकाश

- उन्हीं सरकारी सेवकों को देय जिनका वेतन 1180* प्रतिमाह से अधिक न हो।
- अधीनस्थ सेवा के उन कार्मिकों को देय जिनकी डयूटी में दुर्घटना या बीमारी का खतरा अधिक हो। जैसे कारागार, पागल खाना, अग्नि शमन आदि।
- तीन वर्ष की सेवाकाल में 6 माह की सीमा तक स्वीकृत। तीन माह पूर्ण वेतन, तीन माह अर्द्धवेतन। एस0आर0 155, 156
- अवकाश लेखे से घटाया नहीं जाता है।
- अवकाश वेतन– पहले 3 माह पूर्ण वेतन
- अवकाश अवधि सहित –शेष 3 माह 1/2 वेतन।

* 5200–20200 (वर्तमान)

12—अध्ययन अवकाश

- मू0नि0—84 एवं स0नि0—146(क) के अन्तर्गत वैज्ञानिक, प्राविधिक अथवा विषय विशेष के गहन अध्ययन हेतु निम्न विभागों के स्थायी कार्मिक को देय।
- जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान विभाग, पशुपालन, कृषि, शिक्षा, वन सार्वजनिक निर्माण विभाग। जनहित में शासन द्वारा अन्य विभाग को भी स्वीकृत।
- स्थायी सेवक के पांच वर्ष सेवा पूरी होने के उपरान्त एवं सेवानिवृत्ति हेतु तीन वर्ष के पूर्व ही स्वीकार योग्य।

अध्ययन अवकाश

- अवकाश स्वीकृति के पूर्व तीन वर्ष की सेवा का बाण्ड अनिवार्य।
- एक बार में 12 माह की सीमा तक अवकाश अर्द्ध वेतन पर स्वीकृत (जन स्वास्थ्य में 15 माह)
- पूरे सेवा काल में 24 माह का अधिकतम अवकाश।
- दूसरे अवकाश के साथ सम्मिलित, परन्तु सम्पूर्ण अवधि 28 माह से अधिक नहीं।
- औसत अर्द्ध वेतन अनुमन्य परन्तु इस अवधि को अर्द्ध वेतन पर लिय ` गये अन्य अवकाश से सम्बद्धता नहीं

13–विशेष विकलांगता अवकाश

- मू0नि0–83 के अन्तर्गत स्थायी/अस्थायी कार्मिकों को देय।
- जानबूझ कर पहुंचायी गयी चोट/दुर्घटना के कारण विकलांगता
- चिकित्सा परिषद की संस्तुति अवकाश।
- घटना घटित होने के तीन माह के अन्दर विकलांगता के लक्षण उभर आये हो।
- अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत, अन्य अवकाश के साथ संयुक्त किया जा सकता है।
- प्रथम चार माह पूर्ण वेतन, तत्पश्चात अर्द्धऔसत वेतन।

14–लघुकृत अवकाश

- केवल स्थायी सेवकों को मू0नि0–81(ख)(4) के अन्तर्गत उच्चतर प्राविधिक योग्यता प्राप्त करने हेतु अध्ययनरत होने पर अनुमन्य निजी कार्य पर अवकाश के आधे के समतुल्य पूर्ण वेतन पर लघुकृत अवकाश स्वीकृत।
- एक बार में अधिकतम 45 दिन (भारत) व 90 दिन (एशिया व यूरोप), इस प्रकार कुल स्वीकृत अवकाश 90 दिन का दुगना निजी कार्य हेतु अवकाश लेखा से कम कर दिया जायेगा।
- अस्थायी सेवकों को देय नहीं।
- अवकाश वेतन– ई0एल0／2

15–दीर्घावकाश

- मू0नि0–82(क) व स0नि0–143 से 146 के अन्तर्गत चुने हुये विभागों के कार्मिकों को देय।
- 31 दिनों का दीर्घावकाश अर्जित एवं 30 दिन खाते से घटा दिया जायेगा चाहे कितने भी दिनों का अवकाश विभाग में हो।
- यदि उच्चाधिकारियों के आदेश से कुछ अंश का उपभोग किया है तो निम्न प्रकार अवकाश घटाया जायेगा।
- 30 X उपभोग किये गये दीर्घावकाश／पूर्ण दीर्घावकाश के दिन।

16–संगरोधक अवकाश

- स0नि0–202 के अधीन चेचक, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग व कुत्ता काटने की बीमारियों के लिए 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश पूर्ण वेतन पर स्वीकृत।
- नगर स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण पत्र आवश्यक।
- प्लेग शिविर में रोके जाने पर अधिकतम 30 दिन का अवकाश, कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्य के पीड़ित होने पर अनुमन्य।

धन्यवाद

डा0 आनन्द भारद्वाज
उप निदेशक (विधि)